न्यायालय सिविल जज (सि0 डि0), चतुर्थ, व्यवहार न्यायालय, पटना सिटी

स्वत्व विभाजन वाद सं0 – 135/21

06.06.2023 वादी की ओर से कोई पैरवी नहीं है। प्रतिवादी की ओर से पैरवी की गई है। वाद पुकारा गया, पुकार पर वादी पक्ष की ओर से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर कथन करते है कि वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तथा वादी की ओर कोई पैरवी नहीं जा रही है। अतः उचित आदेश पारित करने का कथन करते है।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि यह वाद वादी के साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है। वादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे है। वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर भी दिया गया है, उसके बाद भी वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी की ओर से न कोई पैरवी है और न ही साक्ष्य हेतु कोई समयावेदन एवं न ही गवाह की हाजरी दी गई है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह दर्शित होता है कि वादी की इस वाद में रूचि समाप्त हो गई है। वादी के वाद को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी के वाद को साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को जमा करें।

लेखापित

सिविल जज (सि0 डि0), चतुर्थ

Scanned with OKEN Scanner